न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 105/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. टीकमराम पुत्र कुन्नाराम 2. मांगीलाल पुत्र ओगड़राम 3. मिश्रीलाल पुत्र सेसाराम जातिगण सीरवी निवासीगण मुसालिया तह0 मा0ज0 जिला पाली राज0।		1. दीपाराम पुत्र भुराराम के का0मु0 1/1 धर्माराम पुत्र दीपाराम 1/2 प्रभुराम पुत्र दीपाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण खारिया सोढा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

2. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 व 1/2 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 08/12/2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम खारिया सोडा प0ह0 खारिया सोडा तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 460 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 480 रकबा 0.7200 हैक्टर, ख0नं0 481 रकबा 0.4700 है0, ख0नं0 482 रकबा 0.2300 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.8100 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.4800 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर की आई हुई स्थित है। 2. प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 460 के पूर्व में एवं खसरा संख्या 482, 483, 484 के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 458 रकबा 1.1000 हैक्टर आई हुई स्थित है। अप्रार्थी सं0 01 नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से पूर्व में धोरापाली व माठों को बिखेर दिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के अन्दर आते हुए अतिक्रमण करने की नियत से नयी माठ बनाना शुरू कर दिया एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करना शुरू कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 25/05/2022 को जबरदस्ती नाजायज तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए पुराना धोरा हटाना शुरू कर दिया तब प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की पेमाईश करवा कर ही धोरा लगाने की बात कही तो अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि "किसी भी सूरत में पेमाईश नही होने दुगा एवं माठों को बिखेर कर लाठी लकड़ी के बला पर दूसरा धोरा आपकी खातेदारी कृषि भूमि में लगाकर रहूंगा एवं झूठे एस.सी.एस.टी के मुकदमों में फसाने की धमकिया दी"। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर धोरा लगाने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आते हुए जबरदस्ती प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से कुछ सीमा में माठ लगा दिया। अप्रार्थी व प्रार्थीगण के बीच पूर्व में मौके पर नाप चौक नही करने से हमेशा धोरापाली व माठों को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करते रहते है। अप्रार्थी के द्वारा पैमाईश करवाने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिए प्रार्थीगण के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर मुटाम लगवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा खारिया सोड़ा के खसरा संख्या 460 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा संख्या 480 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 481 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.2300

उप खण्ड अधिकारी (जिला-पाली) राज

हैक्टर, खसरा संख्या 483 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा संख्या 484 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 458 रकबा 1.1000 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने का निवेदन किया हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रा0पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 का जवाब यह है कि सरहद मौजा खारियासोढा पटवार हल्का खारियासोढा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 460, 480, 481, 482, 483, 484 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई हो तो प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 460 के पूर्व में एवं खसरा नंबर 482, 483, 484 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 458 रकबा 1.1000 हैक्टर आयी हुई है, जो सही है। लेकिन ट्रेस नक्शा सीट के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 458 के उत्तर दिशा की तरफ खसरा नंबर 459 के बीच की माठ को सेटेलाईट नक्शे द्वारा सीमाकंन की माठ तोड़ दी गई है, जो पूर्णतया वर्तमान नक्शे में गलत दर्शायी गयी है, जबकि नक्शा सीट में खसरा नंबर 458 व 459 के बीच की माठ बिल्कुल सही है। इसी अनुसार पुनः शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से धोरापाली व माठों को बिखेर देने की बात पूर्णतः गलत लिखी है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है और किसी प्रकार की कोई माठ नहीं तोड़ी है, प्रार्थीगण द्वारा यह गलत लिखा गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 25/5/2022 को जबरदस्ती नाजायज तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर पुराना धोरा हटाना शुरू कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 दीपाराम अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है, जो खेत में आना जाना नही करता है, इसलिए दिनांक 25/5/2022 की घटना मनगढंत है, जबकि प्रार्थीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, वर्तमान में प्रार्थीगण के पास आर्थिक समृद्धता होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि को नाजायज तरीके से हड़पना चाहते है, इसलिए स्थानीय हल्का पटवारी, आर. आई. पुलिस प्रशासन आदि को अपने पक्ष में लेते हुए अप्रार्थीगण के पुत्र प्रभुराम एवं उसके घर परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया जाता है एवं जबरन अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि को हड़प कर अवैध अतिक्रमण कर नाजायज तरीके से सर्दियों पुराने धोरापाली को हटाकर नाजायज अतिक्रमण करना चाहते है, जिसका प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 को सीमाकंन करवाने की बात नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थीगण ने यह लिखा है कि किसी भी सूरत में पैमाईश नहीं होने दूंगा एवं माठों को बिखेर कर लाठी लकड़ी के बल पर दुसरा धोरा आपकी खातेदारी कृषि भूमि में लगाकर रहूंगा'' यह पूर्णतः गलत व मनगढंत लिखा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये खसरा नंबर 460, 480, 481, 482, 483, 484 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 458 के मध्य सीमाकंन चाहा है, वह पूर्णतया गलत चाहा गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नही है, प्रार्थना पत्र को भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जाना आवश्यक है। विशेष उजरात में निवेदन किया कि प्रार्थीगण दीपाराम पुत्र श्री भुराराम जाति मेघवाल निवासी खारिया सोढा की कब्जा सुदा खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खारिया सोढा में आयी हुई स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 458 रकबा 1.1000 हैक्टर है। खसरा नंबर 458 के उत्तर दिशा की तरफ खसरा नंबर 459 आया हुआ है, खसरा नंबर 459 व 458 के मध्य की माठ को वर्तमान सेटेलाईट नक्शे द्वारा पूर्णतया नक्शा सीट से विपरित दर्शायी गयी है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को लाखों रूपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसी प्रकार खसरा नंबर 460 व 458 के मध्य की माठ भी सेटेलाईट में बिगाड़ दी गई है, इसलिए खसरा नंबर 458 व 459 के मध्य की माठ एवं 460 व 458 के मध्य की माठ को नक्शा सीट के अनुसार शुद्धिकरण किया जाना कानूनन

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

आवश्यक है, जिससे खसरा नंबर 458 का रकबा एवं चारों तरफ से सीमाकंन हेतु दर्शायी गयी माठो स्थिर व सुरक्षित रहे और इसी वर्तमान नक्शे की माठों को इधर उधर कर दिया गया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान किया जा रहा है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। अगर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात खसरा नंबर 460 व 458 के बीच की माठ एवं खसरा नंबर 458 व 459 के बीच की माठ नक्शासीट के अनुसार पुनः शुद्धिकरण कर दी जाती है तो किसी प्रकार कोई माठों को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वर्तमान सेटेलाईट नक्शा खसरा नंबर 458 की माठों को पुनः नक्शासीट के अनुसार शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट के साथ खारिज फरमाया जाने, साथ ही प्रार्थीगण के खसरा नंबर 458 के उतरी व पश्चिमी हिस्से की माठ अर्थात् खसरा नंबर 459 के मध्य की माठ पुनः नक्शा सीट के अनुसार शुद्धिकरण की जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा खारिया सोड़ा के खसरा संख्या 460 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा संख्या 480 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 481 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा संख्या 483 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा संख्या 484 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 458 रकबा 1.1000 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी सं0 01 ने खसरा नंबर 459 व 458 के मध्य की माठ को वर्तमान सेटेलाईट नक्शे द्वारा पूर्णतया नक्शा सीट से विपरित दर्शायी गयी है, इसी प्रकार खसरा नंबर 460 व 458 के मध्य की माठ भी सेटेलाईट में बिगाड़ दी गई है, इसलिए खसरा नंबर 458 व 459 के मध्य की माठ एवं 460 व 458 के मध्य की माठ को नक्शा सीट के अनुसार शुद्धिकरण किया जाना कानूनन आवश्यक है, जिससे खसरा नंबर 458 का रकबा एवं चारों तरफ से सीमाकंन हेतु दर्शायी गयी माठो स्थिर व सुरक्षित रहे और इसी वर्तमान नक्शे की माठों को इधर उधर कर दिया गया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान किया जा रहा है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रा0पत्र मय शपथ पत्र तथा जवाब प्रा0त्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार यह साबित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 460, 480, 481, 482, 484, 458 की कृषि भूमि का पक्षकारों के मध्य विवाद हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेज तथा बहस वकुलाय के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खारिया सोड़ा के खसरा संख्या 460 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा संख्या 480 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 481 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा संख्या 483 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा संख्या 484 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 458 रकबा 1.1000 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खारिया सोड़ा तह0 सोजत के खसरा संख्या 460 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा संख्या 480 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 481 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा संख्या 483 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा संख्या 484 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 458 रकबा 1.1000 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत